



Rs. 20/-

R 5197 III 15

प्रकरण क्रमांक—

1. मुस० छोहगी पत्ती स्व० श्री कलबा उर्फ जयराम जायसवाल उम्र— 70 वर्ष,
2. बांके उर्फ बैजनाथ तनय कलबा उर्फ जयराम जायसवाल उम्र— 37 वर्ष,
3. रुजबहोर तनय कलबा उर्फ जयराम जायसवाल उम्र— 24 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम— हड्डबड़ो, तहसील— गोपदबनास, जिला— सीधी (म.प्र.)

— निगरानीकर्ता / आवेदकगण

सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

1. पियारे जायसवाल तनय कैरा जायसवाल,
2. चन्द्रिका जायसवाल तनय भगवत जायसवाल,
3. सुखदेव जायसवाल तनय सूर्यदीन जायसवाल,
4. मुस० छोटी विधवा पत्ती स्व० द्वारिका जायसवाल,
5. अरुण तनय द्वारिका जायसवाल,
6. कमलेश तनय द्वारिका जायसवाल,
7. मुनीन्द्र कुमार तनय द्वारिका जायसवाल,
8. राजकरण जायसवाल तनय रामनाथ जायसवाल,
9. राजराखन तनय रामनाथ जायसवाल,
10. बसन्ती देवी पुत्री कलबा उर्फ जयराम जायसवाल,
11. कलिया देवी पुत्री कलबा उर्फ जयराम जायसवाल,

सभी निवासी ग्राम— हड्डबड़ो, तहसील— गोपदबनास, जिला— सीधी (म.प्र.)

12. मध्यप्रदेश शासन

— गैरनिरानीकर्ता / अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान्

अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला— सीधी

(म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक— 152 / निगरानी

/ 2006-07 में पारित आलोच्य आदेश

दिनांक— 08.09.2015 |

निगरानी अन्तर्गत धारा— 50 म०प्र० भू—

राजस्व संहिता 1959

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रावालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5197-दो । । । । जिला-सीधा

मामती द्योषी नायसवाल को विरुद्ध पियोर नायसवाल वगैरे

(1)	(2)	(3)
१७-१२-१८	<p>1. आवेदक की ओर से श्री आर्केटेच पाठ्यप्राप्ति अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी क्लेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला सीधा के प्रकरण क्रमांक । ५२। निग। । २००६-०७ में पारित आदेश दिनांक । ८-९-२०। ५ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक । ५-३-। ९ को कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p style="text-align: center;">(W)</p>	